SPEED POST

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. Tour Report/CP/2019/RU-IV

Dated: 08.01.2019

To

1. The Chief Secretary,
Government of Maharashtra,
Mantralaya Annexe,
Mumbai -32.

2. The Secretary,
Tribal Welfare Department,
Government of Maharashtra,
Mantralaya Annexe,
Mumbai -32.

Sub: Tour Report of Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to Nandurbar, Maharashtra from 22nd to 24th December, 2018.

Sir/Madam ,

I am directed to enclose copy of Tour report of Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to Nandurbar, Maharashtra from 22nd to 24th December, 2018.

It is requested that action taken/to be taken in the matter may be sent to the Commission.

Yours faithfully,

08/1/2019

(Y.K. Bansal)
Research Officer

Copy for information and necessary action to:-

The District Collector,
District – Nandurbar,
(Maharashtra).

A copy of the tour report of Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to Nandurbar, Maharashtra from 22nd to 24th December, 2018. is enclosed for appropriate action.

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003. Ph. 24601346 FAX: 24604689, 24657474
Toll Free: 1800117777 Website: http://ncst.nic.in

Copy to:- SAS, NIC, NCST.

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली

श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 22–24 दिसंबर, 2018 तक नन्दुरबार (महाराष्ट्र) प्रवास की रिपोर्ट

दिनांक 22 दिसंबर, 2018 को माननीय श्री नंद कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार वायु मार्ग के जरिए नई दिल्ली से सूरत (गुजरात) पहुंचे। तत्पश्चात सड़क मार्ग द्वारा देररात सूरत से नन्दुरबार (महाराष्ट्र) के लिए रवाना हुए। नन्दुरबार से पहले सूरत एवं महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित नवापुर में आदिवासी समाज के प्रमुखजनों ने उनका पारंपरिक तौर–तरीकों से आत्मीय स्वागत किया।

दिनांक 23 दिसंबर, 2018 को नन्दुरबार स्थित नाटय शाला में जन चेतना परिषद, नन्दुरबार द्वारा जनजातियों की समस्याओं एवं समाधान को लेकर वैचारिक मंच का आयोजन किया था, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। आयोजन स्थल पर माननीय अध्यक्ष महोदय का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आयोजन स्थल में माता सबरी और श्रीराम की पूजन आरती कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया।

नन्दुरबार स्थित आयोजन स्थल नाट्य शाला में उद्घाटन से पूर्व अन्य अतिथियों के साथ माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India

आयोजन से पहले माता सबरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते माननीय अध्यक्ष

विचार मंच की शुरूआत से पहले जनजातियों ने पारंपरिक तरीके से शोभा यात्रा का भी आयोजन किया था, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी सहभागिता की और शोभा यात्रा के संग परिक्रमा में शामिल हुए। इस मौके नन्दुरबार लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुश्री हीना गावित भी शोभा यात्रा में शामिल रहीं।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

जन चेतना परिषद द्वारा आयोजित जनजातियों के उत्पीड़न के प्रति जिम्मेदार और उनके समाधान को लेकर विचार मंच में माननीय अध्यक्ष महोदय के अलावा भारतीय नवल सेना के अधिकारी लक्ष्मण सिंह मरकाम मुख्य विचारक के तौर पर मंचासीन थे। श्रीमती नीलिमा पुटटे, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, डॉ. राज किशोर हसदा, सचिव वनवासी कल्याण आश्रम, डॉ. प्रकाश ठाकरे, अध्यक्ष जनजाति चेतना परिषद भी इस कार्यक्रम में मंचासीन हुए।

मुख्य विचारक एवं प्रवक्ता के तौर पर जन चेतना परिषद की ओर से मुख्य वक्ता लक्ष्मण सिंह मरकाम ने बताया कि महाराष्ट्र में 47 प्रकार की जनजातियां निवासरत हैं। बताया कि भारत की कुल जनजातियों की संख्या का 11 प्रतिशत महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में निवास करता है। उन्होंने

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes

जनजातियों की पहचान को विश्लेषित करते हुए बताया कि जनजातियों की पहली पहचान अखंड भारत की पहली रक्षा पंक्ति के तौर पर बनी हुई है, क्योंकि जनजाति वनों में निवास करते हैं और भारतीय सीमा में प्रवेश करने से पहले जंगलों से गुजरना पड़ता है, यह दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान के संदर्भ में कहा कि वनों में खनिज संपदा की रक्षा केवल आदिवासी ही करते हैं और जनजाति समाज आजादी के पहले से अपने इस दायित्व का निर्वहन करते आ रहे हैं।

जनजातियों की क्षमता और पूर्व की सभ्यता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कालांतर में जनजाति गरीब या फिर असहाय नहीं था, जो आजाद भारत में उनका हाल है। मुख्य वक्ता लक्ष्मण सिंह मरकाम ने कहा कि जनजाति राजा भी हुआ करते थे, सैकड़ों एकड़ जमीनों का मालिकाना हक उनके पास हुआ करता था, लेकिन गुलाम भारत में अंग्रेजी हुकुमत ने अपने इरादों को सफल बनाने के लिए कानूनी दाव–पेंचों की आड़ में आदिवासियों से उनकी मालिकाना हक की जमीनों पर कब्जा कर लिया, लागानी वसूली की प्रथा चली। भारत आजाद तो हो गया, लेकिन जनजातियों का हक छिन गया और वे गरीबी के दलदल में धंसते चले गए। उन्होंने बताया की जनजातियों की एकता और ताकत की वजह से ही अंग्रेजों की दाल नहीं गली, जिसकी वजह से उन्होंने जनजातियों की एकता को भंग करने की कोशिश की, जिसमें वे काफी हद तक सफल हुए, किंतु उनकी इच्छाशक्ति के आगे अंग्रेजों को हार मानना पड़ा। उन्होंने बिन्दूवार जानकारी देते हुए जनजातियों पर हुए अत्याचार को विश्लेषित किया–

1. 1973 ब्रिटिश काल में सेटलमेंट लागू किया गया, यहां से जनजातियों का पतन शुरू हुआ और वे गरीबी की ओर बढ़ने लगे। क्योंकि अंग्रेजों ने जनजातियों की जमीन पर सरकार का आधिपत्य जताना शरू कर दिया।
2. 1871 में पहली जनगणना हुई, जिसमें जनजातियों की संख्या से अंग्रेज सरकार चौंक गई, जिस जानबूझकर सार्वजनिक नहीं किया गया।
3. 1891 में वनों में निवासरत जनजातियों की अलग से गणना की गई और समुदाय को बांटने की साजिश शुरू हो गई।
4. 1901 में हुई जनगणना में जनजातियों को एनिमिस्ट की संज्ञा दे दी गई।
5. 1911 में जनजाति समुदाय के वर्गीकरण का काम शुरू कर दिया गया।
6. 1931 में जनजाति समुदाय को प्रीमेटिव ट्राइब्स के तौर पर प्रचारित किया गया।

मुख्य वक्ता लक्ष्मण सिंह मरकाम ने कहा कि इतने के बाद भी जनजाति समाज आज भी बजाय अपने श्रम से कमाकर खाना पसंद करता है। लेकिन शर्मसार करने वाला तथ्य यह है कि आजाद भारत में भी जनजातियों को गुलामों की तरह ही जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India

माननीय अध्यक्ष को आदिवासी समाज के प्रमुखजनों ने इन समस्याओं से अवगत कराया –

1. जनजाति समाज के युवा प्रतिनिधि डॉ विकास ने बताया कि नन्दुरबार सहित पूरे महाराष्ट्र में बोगस आदिवासियों का दबदबा है, पर शासन–प्रशासन मूल जनजातियों की शिकायतों पर ध्यान देन की बजाय, उन्हें संरक्षित करने में जुटा हुआ है।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की उपाध्यक्षा श्रीमती नीलिमा पुट्टे ने बताया कि महाराष्ट्र के सभी जिलों में जनजातियों की जमीनों को गैर आदिवासीजन कौड़ियों के भाव खरीद रहे हैं, इस खरीद–फरोख्त में शासकीय अधिकारियों की मिलीभगत का भी जिक्र उन्होंने किया।
3. जनजाति चेतना परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रकाश ठाकरे ने बताया कि साढ़े तीन लाख रुपए लेकर 7 हजार लोगों को फर्जी जाति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, इसकी जानकारी होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।
4. अपने हक को मरता देखकर जनजाति समाज के युवा काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, शासन–प्रशासन से लगातार कार्यवाही की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने समाज प्रमुखों की शिकायतों को सुनने के बाद कहा कि यह वीर आदिवासियों और भीलों की भूमि है। इसमें दो राय नहीं कि आज भी आदिवासी समाज काफी पीछे है और देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातियों के साथ अत्याचार अब भी जारी है। संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इन बातों से अवगत है और प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए लगातार प्रयत्नशील भी है।

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes

माननीय अध्यक्ष महोदय ने बतौर मुख्य अतिथि सभागार में उपस्थितजनों को संबोधित किया। उन्होंने

कहा कि अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों को एकजुट होने की जरूरत है। जब तक समाज बिखरा रहेगा, क्रांति नहीं आ सकती। देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में प्रावधान है, उसकी उपयोगिता को अमल में लाने के लिए समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर प्रयास करना जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि जनजाति समाज अपनी संस्कृति और सहनशीलता की वजह से पहचाना जाता है। इस भारतभूमि के संरक्षक केवल हमारा जनजाति समाज है। आदिकाल से वनों में रहते हुए भारत माता की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने और घुसपैठियों से बचाने के लिए जनजाति समुदाय के लोगों ने अपने प्राणों की आहूति दी है। जनजाति समाज के लोगों के पास क्षमता है, ताकत है, सहनशीलता है लेकिन भोले हैं, उन्हें छल–कपट नहीं आता, उन्हें प्रपंच नहीं आता, जिसकी वजह से वे अत्याचार भी सहते आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि जनजाति समाज के लोग सीखना तो चाहते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाने की वजह से आज भी वे पिछड़े हुए हैं, योजनाएं उनके लिए ही बनी हैं किंतु वही वंचित हैं और उनकी आड़ में दूसरे लोग पनप रहे हैं। उन्होंने समाज के लोगों को बताया कि आज दूसरे समाज के लोग जनजाति समुदाय में शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए हर तरह के प्रयास जारी हैं और इसी का परिणाम है कि फर्जी जाति प्रमाण–पत्र धड़ल्ले से जारी हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इन तमाम समस्याओं को केवल सोचकर दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि संघर्ष की आवश्यकता है। समाज को जागृत करने की जरुरत है, युवाओं को अपने हक के लिए लड़ने की आवश्यकता है और यह तभी संभव है, जब अच्छी शिक्षा मिले। समाज के लोग पढ़–लिखकर आगे आएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भारत सरकार ने इसलिए ही शक्तियां प्रदत्त की है, ताकि समाज के पीड़ितों को न्याय मिल सके और इसके लिए वे भरसक प्रयास करने हर स्तर पर तैयार हैं।

(नन्द कुमार साय) 31.12.18

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi